

प्रेषक

प्रमुख सचिव/मिशन निदेशक, यू0एस0आर0एल0एम0
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी/जिला मिशन समन्वयक, यू0एस0आर0एल0एम0
देहरादून, चमोली, पौड़ी, नैनीताल तथा उ0सि0नगर।

यू0एस0आर0एल0एम0/ग्राम्य विकास विभाग

देहरादून

दिनांक 27 नवम्बर, 2015

विषय: शासनादेश सं0 3610/XI/13/53 (08) 11 दिनांक 03 सितम्बर, 2013 के आधार पर एन0आर0एल0एम0 के अर्न्तगत प्रथम चरण में चयनित 10 सघन विकासखंडों हेतु सृजित पदों को भरे जाने विषयक।

महोदय/महोदया

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 3610/XI/13/53(08) 11 दिनांक 03 सितम्बर, 2013 के आधार पर एन0आर0एल0एम0 के अर्न्तगत शासन द्वारा राज्य तथा विकासखंड स्तरीय ढांचा स्वीकृत करते हुये प्रश्नगत मिशन के क्रियान्वयन हेतु नितान्त अस्थायी/संविदागत आधार पर पदों को सृजित किया गया है।

विकासखंड स्तर पर मिशन के त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिगत सृजित पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी कर पदों को भरा जाना है। इस हेतु पूर्व में शासन स्तर से जारी कार्मिकों के चयन समिति गठित किये जाने एवं चयन संबंधी दिशा निर्देश जो कि क्रमशः पत्रांक 4836/XI/13/53 (45)/2013 दिनांक 30.12.2013 तथा पत्रांक 394/XI/14/53(45)/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2014 के माध्यम से जारी किये गये हैं, के आधार पर विकासखंड स्तरीय पदों को भरा जायेगा (छायाप्रति संलग्न)। इसके अतिरिक्त चयन समिति में संबंधित जिला के जिला मिशन प्रबंधक एन0आर0एल0एम0 को सदस्य के रूप में नामित कर लिया जाय।

इस हेतु विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर आपको सुलभ संदर्भ हेतु इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि विकासखंड स्तरीय पदों को भरे जाने हेतु तदनुसार निर्धारित विज्ञापन प्रारूप पर सूचना भरते हुये निम्न समय सारणी के अनुसार पदों को भरने संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें -

विज्ञापन जारी करने की तिथि-

01/12/2015

आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि-

30/12/2015

साक्षात्कार की तिथि

15/01/2016

वांछित पद पर नियुक्ति की तिथि

30/01/2016

विकासखंड स्तरीय उक्त सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रथम चरण में चयनित जनपदों के 10 सघन विकासखंडों, क्रमशः जनपद देहरादून के डोईवाला, सहसपुर, जनपद चमोली के जोशीमठ एवं कर्णप्रयाग, जनपद पौड़ी के दुगड़डा एवं यमकेश्वर, जनपद नैनीताल के कोटाबाग एवं रामनगर तथा जनपद उधमसिंहनगर के जसपुर एवं काशीपुर विकासखंडों में की जायेगी, जैसा कि कार्यालय आदेश संख्या-4713/XI/13/53 (08)11 दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 के द्वारा प्रथम चरण में चयनित जनपदों के सघन विकासखंडों के चयन पर स्वीकृति संबंधी शासनादेश में उल्लिखित है। वांछित पद के सापेक्ष शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव एवं अधिकतम अंक आदि शासनादेश सं0 3610/XI/13/53(08) 11 दिनांक 03 सितम्बर, 2013 में उल्लिखित विनियमों तथा आदेश सं0 477/(41) यू0एस0आर0एल0एम0 -2014 दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 के अनुसार किया जाये।

उपरोक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि जिन जनपदों द्वारा शासनादेश सं0 4836/XI/14/53(45)/2013 दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 के द्वारा विकासखंड स्तरीय कतिपय पदों पर पूर्व में नियुक्ति की जा चुकी है, उन पदों का विज्ञप्ति में उल्लेख न किया जाये। कृपया विज्ञप्ति प्रारूप को संबंधित जनपद, तदनुसार अनुकूलित (customize) करते हुये यथा निर्धारित तिथियों के अनुसार प्रथम चरण में चयनित 10 सघन विकासखंडों में पदों को भरने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)

प्रमुख सचिव/मिशन निदेशक

प्रतिलिपि-जिला मिशन प्रबंधक, यू0एस0आर0एल0एम0 (देहरादून, चमोली, पौड़ी, नैनीताल, तथा उ0सि0नगर)
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीषा पंवार)

प्रमुख सचिव/मिशन निदेशक

विज्ञप्ति
जिला मिशन प्रबंधन इकाई,.....

..... पिन:
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
(ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड द्वारा संचालित)

विज्ञापन संख्या :-

दिनांक

जनपदमें उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (य0एस0आर0एल0एम0) के अन्तर्गत सघन विकासखंडों में विषय विशेषज्ञों को पूर्णतः संविदा तथा नियत मानदेय एवं अवधि के आधार पर तैनात किया जाने अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अतः निम्न सघन विकासखंडों में मिशन के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित पदों पर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

विकासखंड का नाम	भरे जाने वाले पदों के नाम	पदों की प्रकृति	पदों की संख्या
1.....	ब्लाक मिशन प्रबंधक	संविदा / प्रतिनियुक्ति	
2.....	लेखाकार / सहायक लेखाकार	संविदा / प्रतिनियुक्ति	
3.....	परियोजना सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर	संविदा आधार पर	

उक्त विषय विशेषज्ञों के लिए आवेदन हेतु निर्धारित अर्हतायें एवं दक्षता एवं अन्य आवश्यक जानकारी जनपद की बैवसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र दिनांक की सांय 5.00 बजे तक ई मेल पर अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय (पता) में स्वीकार किये जायेंगे, जिसके उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उक्त पदों की संख्या घटाने एवं बढ़ाने एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार जिला मिशन समन्वयक / मुख्य विकास अधिकारी, में निहित होगा।

/ ह0 /

(.....)

जिला मिशन समन्वयक / मुख्य विकास अधिकारी,

प्रेषक,
विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
पौड़ी।

ग्राम्य विकास विभाग

देहरादून दिनांक: 3 सितम्बर, 2013

विषय:—भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिनांक 28.02.2014 अथवा शासन के अग्रिम आदेशों जो भी पहले घटित हो तक के लिए नितान्त अस्थाई/संविदा पर पदों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन पदों का सृजन भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही मान्य होगी।

2. ग्राम्य विकास के अन्तर्गत पूर्व में गठित परियोजना प्रबन्धन इकाई को राज्य स्तरीय मिशन मैनेजमेंट यूनिट के रूप में रखते हुए उक्त इकाई में पूर्व से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को ही इस योजना हेतु प्रयुक्त किया जायेगा।

क. सं.	पदनाम	पद/देय वेतन/एक मुश्त वेतन/यात्रा एवं दैनिक भत्ते	प्रस्तावित सृजित पद	जाब चार्ट	अभ्युक्ति
राज्य स्तर					
	मिशन निदेशक,	—	—		पदेन, सचिव, ग्राम्य विकास।
1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	प्रतिनियुक्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति पर देय वेतन। अथवा पे-बैंड— III/IV के ग्रेड पे रू0 7600.00/8700.00के अधिकारी	1(एक)	प्रदेश स्तर पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संबन्धित समस्त दायित्वों का निर्वहन।	भारतीय प्रशासनिक सेवा के कार्यरत ऐसे अधिकारी जिन्हें जनपद स्तर पर जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी के पद पर कम से कम 3 वर्ष का कार्यानुभव या अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी जिन्हें गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी परियोजनाओं में कम से कम 3 वर्ष का कार्यानुभव हो। अथवा ग्राम्य विकास के ऐसे अधिकारी जिन्हें ग्राम्य विकास विभाग में कम से कम 20 वर्ष का कार्य अनुभव हो।

2 ✓	अपर कार्यकारी, अधिकारी	मुख्य प्रतिनियुक्ति पर पे-बैण्ड- III के ग्रेड पे रू0 7600.00 के अधिकारी की नियुक्ति पर देय वेतन।	1(एक)	अन्तर्विभागीय समन्वय एवं विभिन्न रेखीय विभागों से केन्द्राभिसरण संबंधी कार्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य में सहयोग प्रदान करना।	ग्राम्य विकास विभाग के ऐसे अधिकारी जिन्हें ग्राम्य विकास विभाग में कम से कम 15 का कार्य अनुभव हो एवं कम से कम 3 वर्ष का राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नियोजन व कार्यान्वयन हेतु केन्द्र व राज्य सरकार के साथ समन्वय/प्रतिनिधित्व का अनुभव रखते हों।
3 ✓	राज्य कार्यक्रम समन्वयक/राज्य मिशन प्रबन्धक - आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास	खुले बाजार से अनुबन्ध के आधार पर कार्मिक लेने पर रू0 60,000/- एक मुश्त प्रतिमाह एवं कार्य प्रदर्शन पर आधारित मानदेय वृद्धि	1(एक)	राज्य स्तर पर समस्त विशेष परियोजनाओं का निर्माण, नियोजन व प्रबन्धन संबंधित कार्य। राज्य हेतु अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ वित्तीय सहायता हेतु परियोजनाओं का निर्माण। वर्तमान में संचालित विशेष परियोजनाओं का नियोजन व प्रबन्धन व क्रियान्वयन से संबंधित कार्य।	खुले बाजार से अनुबन्ध के आधार पर अर्हता:- एम.बी.ए. उपाधि उत्तीर्ण/IRM। अथवा अन्य ख्याति प्राप्त संस्थान से आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास के स्नातकोत्तर डिप्लोमा। कम से कम 8 वर्ष का ग्रामीण विकास सम्बन्धी परियोजनाओं के निर्माण व प्रबन्धन में कार्य करने का अनुभव, अंग्रेजी में वार्तालाप व लेखन में प्रवीणता, कम्प्यूटर कार्य करने में प्रवीणता। राज्य स्तर पर ग्रामीण आजीविका संवर्धन सम्बन्धी विशेष परियोजनाओं के निर्माण, प्रबन्धन, मूल्यांकन अनुश्रवण के साथ केन्द्र व राज्य सरकार से विशेष परियोजनाओं के स्वीकृति व कार्यान्वयन हेतु समन्वय/प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य अनुभव को वरीयता दी जायेगी।
4 f	राज्य मिशन प्रबन्धक-वित्त एवं प्रोक्योरमेण्ट	खुले बाजार से अनुबन्ध के आधार पर कार्मिक लेने पर रू0 50,000/- एक मुश्त प्रतिमाह अथवा प्रतिनियुक्ति पर पे बैण्ड III के अधिकारी की नियुक्ति पर देय वेतन	1(एक)	राज्य स्तर पर समस्त वित्तीय अधिष्ठान संबंधित कार्य। राज्य स्तर पर माइक्रो क्रेडिट संबंधी कार्य। राज्य स्तर पर प्रोक्योरमेंट संबंधी कार्य।	खुले बाजार से अनुबन्ध के आधार पर अर्हता:- मान्यता प्राप्त संस्थान से सी. ए./आई.डब्ल्यू.सी.ए. में उपाधि कम से कम 8 वर्ष का वित्तीय प्रबन्धन व प्रोक्योरमेण्ट सम्बन्धी कार्य करने का अनुभव, अंग्रेजी में वार्तालाप व लेखन में प्रवीणता, कम्प्यूटर में एकाउण्ट/Tally पैकेज में कार्य करने में प्रवीणता।

					प्रतिनियुक्ति पर राज्य अधीन विभिन्न वित्तीय सेवाओं/बैंक सेवा के निम्नलिखित अर्हता एवं अनुभव के अधिकारी। पे-बैंड III तथा ग्रेड-पे रू0 6600.00 के अधिकारी। प्रबन्धन में डिग्री/डिप्लोमा तथा अंग्रेजी लेखन में प्रवीणता के साथ वित्तीय प्रबन्धन व प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव, अंग्रेजी में वार्तालाप व लेखन में प्रवीणता, कम्प्यूटर में एकाउण्ट/Tally पैकज पर कार्य करने में प्रवीणता।
5	राज्य मिशन प्रबन्धक - मूल्यांकन अनुश्रवण, प्रकशन, अभिलेखीकरण	खुले बाजार से अनुबन्ध के आधार पर कार्मिक लेने पर रू0 50000/- एक मुश्त प्रतिमाह अथवा प्रतिनियुक्ति पर पे बैंड III के अधिकारी की नियुक्ति पर देय वेतन	1(एक)	राज्य स्तर पर मूल्यांकन अनुश्रवण संबंधित कार्य।	खुले बाजार से अनुबन्ध के आधार पर अर्हता:- एम.बी.ए. उपाधि उत्तीर्ण/IRM। अथवा अन्य ख्याति प्राप्त संस्थान से आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास के स्नातकोत्तर डिप्लोमा। कम से कम 8 वर्ष का परियोजनाओं के मूल्यांकन अनुश्रवण तथा अभिलेखीकरण में कार्य करने का अनुभव, अंग्रेजी में वार्तालाप व लेखन में प्रवीणता, कम्प्यूटर कार्य करने की प्रवीणता। अथवा राजकीय सेवा से सेवा निवृत्त ऑडिटर। प्रतिनियुक्ति पर राज्य अधीन विभिन्न सेवाओं/बैंक सेवा के निम्नलिखित अर्हता एवं अनुभव के अधिकारी पे-बैंड III तथा ग्रेड-पे रू0 6600.00 के अधिकारी। ग्रामीण विकास सम्बन्धी परियोजनाओं के मूल्यांकन अनुश्रवण तथा अभिलेखीकरण में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव, अंग्रेजी में वार्तालाप व लेखन में प्रवीणता, कम्प्यूटर कार्य करने की प्रवीणता।

6	राज्य मिशन प्रबन्धक - विपणन	खुले बाजार से अनुबन्ध के आधार पर कार्मिक लेने पर रू0 50000/- एक मुश्त प्रतिमाह एवं कार्य प्रदर्शन पर आधारित मानदेय वृद्धि अथवा प्रतिनियुक्ति पर पे बैंड III के अधिकारी की नियुक्ति पर देय वेतन	1(एक)	राज्य स्तर पर विपणन संबंधित समस्त कार्य। राज्य स्तर पर विपणन हेतु बृहद रणनीति तैयार करना संबंधित समस्त कार्य। विपणन से सम्बन्धित परियोजनाओं का निर्माण।	खुले बाजार से अनुबन्ध के आधार पर अर्हता:- एम.बी.ए. उत्तीर्ण/उपाधि अथवा अन्य ख्याति प्राप्त संस्थान से आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास के स्नातकोत्तर डिप्लोमा। ग्रामीण स्वरोजगारियों के उत्पादों के विपणन में कम से कम 8 वर्ष का कार्य करने का अनुभव, अंग्रेजी में वार्तालाप व लेखन में प्रवीणता, कम्प्यूटर कार्य करने की प्रवीणता। अथवा एम.बी.ए. उपाधि उत्तीर्ण के साथ विपणन हेतु राज्य समन्वयक के रूप में कम से कम 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव।
7	राज्य मिशन प्रबन्धक - मानव संसाधन एवं जेण्डर विकास	खुले बाजार से अनुबन्ध के आधार पर कार्मिक लेने पर रू0 50000/- एक मुश्त प्रतिमाह एवं कार्य प्रदर्शन पर आधारित मानदेय वृद्धि अथवा प्रतिनियुक्ति पर पे बैंड III के अधिकारी की नियुक्ति पर देय वेतन	1(एक)		खुले बाजार से अनुबन्ध के आधार पर अर्हता:- एम.बी.ए. उपाधि उत्तीर्ण/प्टड। अथवा अन्य ख्याति प्राप्त संस्थान से आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास के स्नातकोत्तर डिप्लोमा। सामाजिक अभिप्रेरण जेण्डर विकास में कम से कम 8 वर्ष का कार्य करने का अनुभव, अंग्रेजी में वार्तालाप व लेखन में प्रवीणता, कम्प्यूटर कार्य करने की प्रवीणता। प्रतिनियुक्ति पर राज्य अधीन विभिन्न सेवाओं/बैंक सेवा के निम्नलिखित अर्हता एवं अनुभव के अधिकारी पे-बैंड III तथा ग्रेड-पे रू0 6600.00 के अधिकारी। प्रशिक्षण, कौशल विकास सामाजिक अभिप्रेरण जेण्डर विकास में कम से कम 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव, अंग्रेजी में वार्तालाप व लेखन में प्रवीणता, कम्प्यूटर कार्य करने की प्रवीणता।

8	एम.आई.एस.	रू0 30000/- एक मुश्त प्रतिमाह	1(एक)	1. कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, विपणन में राज्य मिशन निदेशक / मुख्य कार्याकारी / अपर मुख्य कार्याकारी अधिकारी/राज्य मिशन प्रबन्धकों को सहयोग प्रदान करना। 2. ऑन लाईन रिपोर्टिंग का डाटा अपडेट सुनिश्चित करना। 3. बेब-साईट अपडेशन	संविदा आधार पर :- बी.टेक (आई.टी) अथवा एम.सी.ए. उपाधि उत्तीर्ण एम. आई. एस. / सॉफ्टवेयर निर्माण सम्बन्धी कार्य में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।
9	लेखाकार	रू0 25000/- एक मुश्त प्रतिमाह	1(एक)	राज्य स्तर पर लेखा एवं सम्प्रेक्षण सम्बन्धी समस्त कार्य।	खुले बाजार से अनुबन्ध के आधार पर अर्हता:- बी.कॉम/एम.कॉम उपाधि उत्तीर्ण लेखा व सम्प्रेक्षण सम्बन्धी कार्य में कम से कम 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव, अंग्रेजी में वार्तालाप व लेखन में प्रवीणता, कम्प्यूटर कार्य करने की प्रवीणता। कम्प्यूटर में एकाउण्ट पैकज कार्य करने में प्रवीणता। प्रतिनियुक्ति पर राज्य अधीन विभिन्न सेवाओं में लेखा संवर्ग के निम्नलिखित अर्हता एवं अनुभव के कार्मिक, जिन्हें पे-बैण्ड II के अन्तर्गत ग्रेड-पे रू0 4200.00 अनुमन्य हों। लेखाकार टेली पैकेज एवं कम्प्यूटर कार्य करने में प्रवीणता, अंग्रेजी एवं हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य।
10	प्रधान सहायक	रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200.00	1(एक)	राज्य मिशन में कार्यरत स्टॉफ अवस्थापना सम्बन्धी अभिलेखीकरण, पत्रावलियाँ दैनन्दिनी डाक का अगम-निर्गम के समस्त कार्य।	प्रतिनियुक्ति पर (कम्प्यूटर कार्य में प्राथमिकता) अंग्रेजी एवं हिन्दी का ज्ञान।
कुल पद (राज्य स्तरीय)			10(दस)		
विकास खंड स्तर					

1	मिशन प्रबंधक	35000 रु० एक मुश्त प्रतिमाह अथवा प्रतिनियुक्ति पर पे बैंड II के अधिकारी की नियुक्ति पर देय वेतन	10(दस)	विकास खण्ड स्तर पर मिशन के टीम लीडर के रूप में कार्य, अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ कार्यों का निर्देशन व प्रबन्धन, प्रशासनिक कार्य तथा समस्त वित्तीय कार्य का उत्तरदायित्व। सरकारी विभागों/बैंकों/ सामाजिक संगठनों तथा वाह्य सहायतित् वित्त संस्थाओं के साथ समन्वय, विकास खण्ड स्तरीय फैंडरेशनों का गठन/ सुदृढीकरण, प्रशिक्षण, एम.आई. एस. अपडेशन सभी सम्बन्धितों को रिपोर्टिंग अन्य कार्य जो मिशन हेतु विकास खण्ड स्तर पर आवश्यक हों।	खुले बाजार से अनुबन्ध के आधार पर अर्हता:- प्रबंधन में डिग्री/डिप्लोमा/ एम०एस०डब्ल्यू० या सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर /ग्रामीण विकास कार्यक्रम सम्बन्धी डिप्लोमा। कम से कम 5 वर्ष का ग्रामीण विकास सम्बन्धी परियोजनाओं के निर्माण व प्रबन्धन में कार्य करने का अनुभव, अंग्रेजी में वार्तालाप व लेखन में प्रवीणता, कम्प्यूटर कार्य करने में प्रवीणता। प्रतिनियुक्ति पर राज्य अधीन विभिन्न सेवाओं के निम्नलिखित अर्हता एवं अनुभव के अधिकारी पे-बैंड प् तथा ग्रेड-पे रु० 5400.00 के अधिकारी। परियोजनाओं के निर्माण व प्रबन्धन में कार्य करने का अनुभव, अंग्रेजी में वार्तालाप व लेखन में प्रवीणता, कम्प्यूटर कार्य करने में प्रवीणता।
2	लेखाकार/ सहायक लेखाकार	संविदा पर 15000/-रु० एक मुश्त प्रतिमाह अथवा एस.जी.एस.वाई. में कार्यरत विकास खण्ड में तैनात लेखाकार सरकार द्वारा अनुमन्य पे-बैंड II के वेतनमान के कर्मचारी	10(दस)	ग्रामीण आजीविका मिशन के लेखा एवं सम्प्रेक्षण सम्बन्धी समस्त कार्य	खुले बाजार से अनुबन्ध के आधार पर अर्हता:- एम.कॉम उपाधि उत्तीर्णलेखा व सम्प्रेक्षण सम्बन्धी कार्य में कम से कम 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव, अंग्रेजी में वार्तालाप व लेखन में प्रवीणता, कम्प्यूटर कार्य करने की प्रवीणता। कम्प्यूटर में एकाउण्ट पैकज कार्य करने में प्रवीणता। प्रतिनियुक्ति पर राज्य अधीन विभिन्न सेवाओं के निम्नलिखित अर्हता एवं अनुभव के कर्मचारी पे-बैंड II कर्मचारी, जिन्हें एस.जी.एस. वाई./अन्य लेखा सम्बन्धी कार्यों में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हों। लेखाकार टेली पैकेज एवं कम्प्यूटर कार्य करने में प्रवीणता, अंग्रेजी एवं हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य।

3	परियोजना सहायक सह कम्प्यूटर प्रोग्रामर	संविदा पर 15000/एक मुश्त प्रतिमाह	10(दस)		खुले बाजार से अनुबन्ध के आधार पर अर्हता:- प्रबंधन में डिप्लोमा / एम0एस0डब्लू0 या सामाजिक विज्ञान अथवा लाइफ सांइसेज में स्नातकोत्तर। कम से कम 2 वर्ष का ग्रामीण विकास सम्बन्धी परियोजनाओं प्रबन्धन में कार्य करने का अनुभव, अंग्रेजी में वार्तालाप व लेखन में प्रवीणता, कम्प्यूटर कार्य करने में प्रवीणता।
		योग-	30(तीस)		
		कुल पद की संख्या	40(चालीस)		

कुल पद-40

- उक्त पदों पर चयन शासन द्वारा पृथक से निर्धारित मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा।
- जनपद स्तर पर कार्यों का संचालन ग्राम्य विकास संवर्ग/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 44(NP) — दिनांक 03 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या- 3610 /XI/13/53 (08)11 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
- आयुक्त, ग्राम्य विकास पौड़ी।
- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त सदस्य, शासी निकाय।
- वित्त अनुभाग-4 एवं वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
- गार्ड फाइल।

आस्था से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास विभाग
संख्या: 4836 / XI / 13 / 53(45)13
देहरादून: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2013

कार्यालय आदेश

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-3610 / XI / 13 / 53(08)11 दिनांक-03 सितम्बर, 2013 के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय 10 पद एवं विकास खण्ड स्तरीय 30 पद अर्थात् कुल 40 पद सृजित करते हुए उनको भरे जाने के सम्बन्ध में मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। राज्य स्तरीय 10 पदों में से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के 01 पद पर तैनाती की जा चुकी है। राज्य स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निम्नानुसार प्राविधान किये जा रहे हैं:-

(क) राज्य स्तरीय रिक्त कुल 09 पदों के लिए शासन स्तर पर निम्नानुसार चयन समिति गठित की जाती है:-

1. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2. अपर सचिव, ग्राम्य विकास (श्री सेमवाल) उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन उत्तराखण्ड	सदस्य

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस0आर0एल0एम0 द्वारा उक्त पदों को भरे जाने हेतु नियमानुसार विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा तथा इस सन्दर्भ में जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उनको चयन समिति के समक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। चयन समिति द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष प्राप्त समस्त आवेदनों की नियमानुसार स्कुटनी आदि करते हुए पात्र अभ्यर्थियों को चयन हेतु संस्तुत किया जायेगा। चयन समिति द्वारा किये गये संस्तुति के आधार शासन स्तर से सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए नियमानुसार नियुक्ति हेतु आदेश जारी किये जायेंगे।

(ख) विकास खण्ड स्तरीय रिक्त कुल 30 पदों के लिए जिला स्तर पर निम्नानुसार चयन समिति गठित की जाती है:-

1. सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2. सम्बन्धित जनपद के परियोजना निदेशक	सदस्य
3. सम्बन्धित जनपद के जिला विकास अधिकारी	सदस्य

सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपने-अपने जनपद के विकास खण्डों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु नियमानुसार विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा तथा इस सन्दर्भ में जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उनको चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। चयन समिति द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष प्राप्त समस्त आवेदनों की नियमानुसार स्कुटनी आदि करते हुए पात्र अभ्यर्थियों को चयन हेतु संस्तुत किया जायेगा। चयन समिति द्वारा किये गये संस्तुति को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस0आर0एल0एम0 सचिवालय परिसर, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति के साथ प्रस्ताव निदेशक, एस0आर0एल0एम0 को प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक, एस0आर0एल0एम0 द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार नियुक्ति हेतु आदेश जारी किये जायेंगे। समस्त रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही अधिकतम एक माह में कर ली जायेगी।

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या- 4836 /XI/13/53 (45)13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के सज्ञानार्थ।
2. अपर सचिव, ग्राम्य विकास (श्री सेमवाल जी) उत्तराखण्ड शासन।
3. ✓ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस0आर0एल0एम0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग पौड़ी।
5. सम्बन्धित जनपद (देहरादून, चमोली, पौड़ी, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर) के मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)

अनु सचिव।

प्रेषक,

जे०एल०शर्मा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्री एच०बी० थपलियाल,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यू०एस०आर०एल०एम०,
देहरादून।

ग्राम्य विकास अनुभाग।

देहरादून, दिनांक 31 जनवरी, 2014

विषय- एन०आर०एल०एम० के अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर कार्मिकों के चयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 3610/XI/13/53(08)/2011 दिनांक 03.09.2013 के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय 10 पद एवं विकास खण्ड स्तरीय 30 पद अर्थात् कुल 40 पद सृजित किये गये हैं तथा शासन के आदेश संख्या 4836/XI/13/53(45)/2013 दिनांक 30.12.2013 के द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु चयन समिति गठित की गयी है।

2- एन०आर०एल०एम० में कार्मिकों के चयन के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा आब्जेक्टिव आधार पर मैरिट निर्धारित करते हुये चयन किये जाने का परामर्श दिया गया है। वित्त विभाग के उक्त परामर्श के क्रम में कार्मिकों के चयन के सम्बन्ध में 10th, 12th, स्नातक, परास्नातक एवं यदि कोई टैक्निकल डिग्री आवश्यक हो तो उसमें प्राप्त मार्क्स तथा यदि किसी विशेष क्षेत्र में अनुभव वांछनीय हो तो अनुभव के लिये एक निश्चित मार्क्स निर्धारित करते हुये कुल प्राप्त मार्क्स के आधार पर मैरिट तैयार करते हुये पूर्व में गठित चयन समिति द्वारा चयन की कार्यवाही की जानी है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तर-2 में उल्लिखित विवरण के आधार पर कार्मिकों के चयन के सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अनुमोदित किया

03/02/14

श्री सौरभ सिंह

अ. सचिव

03/02/14

भवदीय,
(जे०एल०शर्मा)
अनु सचिव

104/USALM
05/02/2014

(14)
(6)

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास विभाग
संख्या: /XI/13/53(08)11
देहरादून: दिनांक 20 दिसम्बर, 2013

कार्यालय आदेश

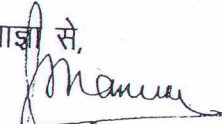
ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश संख्या-3609 /XI/13/53(08)11 दिनांक-03 सितम्बर, 2013 के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत चयनित जनपदों/विकास खण्डों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क0सं0	कार्यालय आदेश संख्या-3609/ दिनांक-03 सितम्बर, 2013 के द्वारा चयनित जनपद/विकास खण्ड		वर्तमान में चयनित जनपद/विकास खण्ड	
क0सं0	जनपद	विकास खण्ड	जनपद	विकास खण्ड
1.	उत्तरकाशी	भटवाड़ी, मोरी	देहरादून	डोईवाला, सहसपुर
2.	चमोली	गैरसैण, जोशीमठ	चमोली	जोशीमठ, कर्णप्रयाग
3.	देहरादून	डोईवाला, कालसी	पौड़ी	दुगड्डा, यमकेश्वर
4.	बागेश्वर	कपकोट, बागेश्वर	नैनीताल	कोटाबाग, रामनगर
5.	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट, बेरीनाग	उधमसिंहनगर	जसपुर, काशीपुर

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या-47/3 /XI/13/53 (08)11 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास पौड़ी।
8. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त सदस्य, शासी निकाय।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
अनु सचिव।

State Project Management Unit

Uttarakhand State Rural Livelihood

Mission (USRLM)

Aajeevika Bhawan, suveychowk
Dehradun-248001

Telephone- Office 9561

9411

Website :- <http://usrlm.uk.gov.in>

Email : ceouksrlm@gmail.com



संख्या :- ५२७ / (41) यूएसआरएलएम-2014

प्रेषक,

डी0आर0जोशी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यू0एस0आर0एल0एम0
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी/
जिला कार्यक्रम समन्वयक, NRLM
चमोली / पौड़ी / देहरादून / नैनीताल / उधमसिंहनगर

ग्राम्य विकास विभाग (यूएसआरएलएम) देहरादून: दिनांक : 19 दिसम्बर, 2014

विषय :- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत विकास खण्डों हेतु स्वीकृत पदों पर चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3610/XI/13/53 (08) 11 दिनांक 03 सितम्बर, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके जनपद के अन्तर्गत प्रथम चरण में चयनित सघन विकास खण्डों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु प्रति विकास खण्ड दो अन्य पदों सहित 01 परियोजना सहायक सह कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद का सृजन हुआ है। शासन स्तर पर सघन विकास खण्डों में परियोजना सहायक सह कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन करने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश संख्या-4836/XI/13/53 (45) 13 दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 के द्वारा विकास खण्ड स्तरीय उक्त पदों पर चयन के लिए जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इन स्वीकृत पदों पर चयन हेतु शासन स्तर पर निम्न विवरणानुसार मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं :-

अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता के अधिकतम अंक निम्नानुसार निर्धारित किये जायेंगे:-

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1. हाईस्कूल में कुल प्राप्ताकों के प्रतिशत का | — | 10 प्रतिशत अंक |
| 2. इण्टरमीडिएट में कुल प्राप्ताकों के प्रतिशत का | — | 10 प्रतिशत अंक |
| 3. स्नातक में कुल प्राप्ताकों के प्रतिशत का | — | 10 प्रतिशत अंक |
| 4. स्नातकोत्तर में कुल प्राप्ताकों के प्रतिशत का | — | 10 प्रतिशत अंक |
| 5. सम्बंधित पद के सापेक्ष मांगी गई Essential qualification | — | 10 प्रतिशत अंक |
- में डिग्री/डिप्लोमा में कुल प्राप्ताकों के प्रतिशत का

अभ्यर्थी का कार्यानुभव के अधिकतम अंक निम्नानुसार होंगे :-

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. पद के सापेक्ष सम्बंधित क्षेत्र में न्यूनतम 02 वर्ष तक के वांछित अनुभव पर | — | 10 अंक |
| 2. पद के सापेक्ष सम्बंधित क्षेत्र में 02-04 वर्ष तक के वांछित अनुभव पर | — | 20 अंक |
| 3. पद के सापेक्ष सम्बंधित क्षेत्र में 04 वर्ष से 06 वर्ष तक वांछित अनुभव पर | — | 30 अंक |
| 4. पद के सापेक्ष सम्बंधित क्षेत्र में 06 वर्ष से अधिक वांछित अनुभव पर | — | 40 अंक |
| 5. आजीविका से सम्बंधित किसी विशेष परियोजना तथा सरकारी कार्य प्रणाली में कार्यानुभव पर | — | 10 अंक |

State Project Management Unit

Uttarakhand State Rural Livelihood

Mission (USRLM)

Aajeevika Bhawan, suveychowk
Dehradun-248001

Telephone- Office 9568120777

9411150600

Website :- <http://usrlm.uk.gov.in>

Email : ceouksrlm@gmail.com



-2-

उपरोक्त के अतिरिक्त इन पदों हेतु साक्षात्कार अधिकतम 20 अंक का होगा, जो कि इस हेतु गठित चयन समिति द्वारा लिया जायेगा।

अतः उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि सघन विकास खण्डों में स्वीकृत परियोजना सहायक सह कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पदों पर तत्काल चयन करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। उपरोक्त दोनों शासनादेश एवं प्रथम चरण के अन्तर्गत चयनित सघन विकास खण्डों की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय,

(डी०आर०जोशी)

9 मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या :- / (41) यूएसआरएलएम-2014

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित :-

1. सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

19/12/2014
(डी०आर०जोशी)

9 मुख्य कार्यकारी अधिकारी